UPSI050006922022

न्यायालय सिविल जज (सी0 डि0), सीतापुर।

दीवानी वाद सं०-442/2022

C.I.S No-451/2022

श्रीमती सुरजीत कौर आदि बनाम जसपाल सिंह आदि।

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। उभय पक्ष को निस्तारण प्रार्थना-पत्र 14 ग 2 पर सुना जा चुका है।

निस्तारण प्रार्थना-पत्र 14 ग 2

प्रार्थना-पत्र 14 ग 2 मय शपथ-पत्र 17 ग 2 प्रतिवादी सं०-1 द्वारा अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादीगण ने वाद बटवारा जिस मकान के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है वह पुश्तैनी मकान का अंश भाग है। उक्त मकान में हरमीत सिंह व जसपाल सिंह के पिता स्व० गुरुचरन सिंह का हिस्सा था जिसका कुल मकान में अन्य भाइयों के साथ काफी समय पूर्व बटवारा हो गया और उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके उत्तराधिकारियों के मध्य आपसी रूप से बटवारा हो गया और सब उसी आधार पर काबिज हुये और वर्तमान समय मे भी काबिज हैं। इसके पश्चात प्रतिवादी सं०-1 ने अपने अंश में नीचे व्यवसायिक व ऊपर कमरे लैट्रीन, बाथरूम आदि निर्मित कराये हैं एवं अपने चाचा से भी उनके हिस्से का अंश भाग लेकर भी निर्माण कराया है। प्रतिवादी सं -1 द्वारा यह निर्माण निजी धन से कराया गया है जिसमे वादीगण का कोई अंश नहीं है। चूँकि बटवारा पूर्व में हो चुका है इस कारण पुनः बटवारे का प्रश्न नहीं उठता, मात्र प्रतिवादी सं०-1 की सम्पत्ति हड़पने के लिये निराधार कथनों के आधार पर वाद प्रस्तुत कर दिया है तथा वादिनी का वाद चलने योग्य नहीं है तथा वैधानिक रूप से बाधित है। अतः प्रतिवादी सं०-1 द्वारा वाद-पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

वादीगण द्वारा उपरोक्त प्रार्थना-पत्र पर आपत्ति 18 ग 2 प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रतिवादी सं० -1 द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. निराधार, दूषित व मिथ्या कथनों पर आधारित है। प्रश्नगत मकान का बटवारा हरमीत सिंह व जसपाल सिंह के मध्य कभी नहीं हुआ है और प्रतिवादी महज वादीगण को परेशान करने की मंशा से व वाद के निर्णय में विलम्ब करने की मंशा से बटवारे की बात कर रहा है। पक्षगण अपनी सुविधा अनुसार रह रहे हैं। प्रतिवादी सं० -1 महज वादीगण का हक व हिस्सा हड़पने की मँशा से असत्य कथन कर रहे हैं। वादीगण को न्यायालय से बटवारा करा पाने का पूर्ण अधिकार है। अतः वादीगण द्वारा उनकी आपत्ति स्वीकार कर प्रतिवादी सं०-1 द्वारा दिया गया प्रार्थना-पत्र सव्यय निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि प्रस्तुत वाद वादीगण द्वा बटवारा अन्तर्गत धारा 22 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में इस बात पर प्रकाश डाला है कि वाद बटवारा पूर्व में हो चुका है, इस कारण पुनः बटवारे का प्रश्न नहीं उठता, मात्र प्रतिवादी सं०-1 की सम्पत्ति हड़पने के लिए निराधार कथनों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित है कि उपरोक्त वाद में वाद का कारण स्पष्ट रूप से दर्शित किया गया है जिस कारण प्रतिवादी का कथन निराधार है। प्रतिवादी का उक्त प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. की परिधि में नहीं आता है एवं आधारहीन है। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं०-1 का प्रार्थना-पत्र 14 ग 2 खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रतिवादी सं०-1 का प्रार्थना-पत्र 14 ग 2 दिनांकित 06.07.2023 खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते वादोत्तर/तनकीह दिनांक 19.01.2024 को पेश हो।

दिनांकः19.12.2023

(श्रीमती अंशु शुक्ला)
सिविल जज (सी0 डि0),
सीतापुर।
J.O.Code-UP02191

विजय मौर्या/-

UPSI050006922022

Digitally signed by Anshu Shukla
Date: 2023.12.19 17:18:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Sitapur